



2026:AHC: 129394

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या - 19683/2026

प्रदीप कुमार राव

.....आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्षी(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता

: रविन्द्र प्रकाश श्रीवास्तव

विपक्षी(गण) के अधिवक्ता

: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या- 73

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

1. आज दाखिल किया गया द्वितीय अनुपूरक शपथ-पत्र अभिलेख पर लिया जाता है।
2. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री रवीन्द्र प्रकाश श्रीवास्तव और राज्य-विपक्षी की ओर से उपस्थित विद्वान ए.जी.ए. श्री राज मणि यादव को सुना गया।
3. यह बी.एन.एस.एस. की धारा 483 के अंतर्गत एक आवेदन है जिसे आवेदक, प्रदीप कुमार राव की ओर से थाना-खलीलाबाद, जिला-संत कबीर नगर में मुकदमा अपराध संख्या 197 वर्ष 2026, भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 352, 318(4), 319(2) और 317(2) के संबंध में जमानत पर रिहा करने के लिए दाखिल किया गया है।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



4. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया है कि यद्यपि आवेदक और दो अन्य अभियुक्तों के विरुद्ध दिनांक 26.06.2026 को बी.एन.एस.एस. की धारा 352, 318(4) और 319(2) के अंतर्गत एफ.आई.आर. संख्या 0197 वर्ष 2026 के रूप में एक प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी, लेकिन आवेदक निर्दोष है और उसने कोई अपराध कारित नहीं किया है, विशेष रूप से तब, जब कथित रूप से की गई बरामदगी थोपी गई है। प्रस्तुतीकरण यह है कि आवेदक ने कभी भी कोई पैसा नहीं लिया है या नकली सोने की छड़/बिस्किट नहीं दिया है। प्रस्तुतीकरण इस सीमा तक है कि आपराधिक इतिहास को भी स्पष्ट किया गया है और अपराध मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय हैं तथा आवेदक 28/03/2026 से कारागार में निरुद्ध है। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता निर्देशानुसार आगे प्रस्तुत करते हैं कि आवेदक प्रत्येक माह के प्रथम सोमवार को संबंधित थाने के समक्ष उपस्थित होगा।

5. दूसरी ओर, विद्वान ए.जी.ए. प्रस्तुत करते हैं कि अपराध बनते हैं, हालांकि, वे इस तथ्य का खंडन नहीं कर सके कि आपराधिक इतिहास को स्पष्ट किया गया है और वह 28/03/2026 से कारागार में है।

6. बार में किए गए प्रस्तुतीकरणों, समग्र तथ्य स्थिति सहित मामले की संलिप्तता पर विचार करते हुए, और इस तथ्य पर भी विचार करते हुए कि आपराधिक इतिहास को स्पष्ट किया गया है और आवेदक 28/03/2026 से कारागार में है।

7. आवेदक- प्रदीप कुमार राव को थाना-खलीलाबाद, जिला- संत कबीर नगर में मुकदमा अपराध संख्या 197 वर्ष 2026, भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 352, 318(4), 319(2) और 317(2) में संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अधीन एक व्यक्तिगत बंधपत्र और समान राशि

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



के दो प्रतिभू प्रत्येक प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के साथ जमानत पर रिहा किया जाए:-

- (i) आवेदक साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा या साक्षीगण को न ही धमकाएगा।
- (ii) आवेदक इस आशय का एक वचन-पत्र दाखिल करेगा कि वह साक्ष्य के लिए निर्धारित तिथियों पर कोई स्थगन नहीं मांगेगा जब न्यायालय में गवाह उपस्थित हों। इस शर्त के उल्लंघन की स्थिति में, विचारण न्यायालय के लिए इसे जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग मानना और विधि के अनुसार आदेश पारित करना खुला होगा।
- (iii) आवेदक विचारण न्यायालय के समक्ष निर्धारित प्रत्येक तिथि पर व्यक्तिगत रूप से या अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित रहेगा। उसकी अनुपस्थिति की स्थिति में, पर्याप्त कारण के बिना, विचारण न्यायालय उसके विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 229-ए/ भारतीय न्याय संहिता (बी.एन.एस.) की धारा 269 के अंतर्गत कार्यवाई कर सकता है।
- (iv) यदि, आवेदक विचारण के दौरान जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग करता है और उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए दं.प्र.सं. की धारा 82/ बी.एन.एस.एस. की धारा 84 के अंतर्गत उद्घोषणा जारी की जाती है और यदि आवेदक ऐसी उद्घोषणा में निर्धारित तिथि पर न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने में विफल रहता है, तो विचारण न्यायालय उसके विरुद्ध कानून के अनुसार भारतीय दंड संहिता की धारा 174-ए/ भारतीय न्याय संहिता (बी.एन.एस.) की धारा 209 के अंतर्गत कार्यवाही शुरू करेगा।
- (v) आवेदक (i) वाद शुरू होने, (ii) आरोप विरचित करने और (iii) दं.प्र.सं. की धारा 313/ बी.एन.एस.एस. की धारा 351 के अंतर्गत बयान दर्ज करने के लिए निर्धारित तिथियों पर विचारण न्यायालय के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहेगा। यदि विचारण न्यायालय की

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु हैं और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



राय में आवेदक की अनुपस्थिति जानबूझकर या पर्याप्त कारण के बिना है, तो विचारण न्यायालय के लिए ऐसे उल्लंघन को जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग मानना और विधि के अनुसार उसके विरुद्ध कार्रवाई करना खुला होगा।

(vi) आवेदक प्रत्येक माह के प्रथम सोमवार को संबंधित थाने के समक्ष उपस्थित होगा।

8. यह आगे निर्देश दिया जाता है कि बंधपत्र स्वीकार किए जाने से पहले संबंधित प्राधिकारी द्वारा प्रतिभुओं की पहचान, स्थिति और निवास प्रमाण का सत्यापन किया जाए।

9. उपरोक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में, विचारण न्यायालय को जमानत रद्द करने की स्वतंत्रता होगी। आवेदक को जमानत देने में की गई कोई भी टिप्पणी विद्वान विचारण न्यायालय के न्यायाधीश को साक्षीगण की गवाही के आधार पर अपनी स्वतंत्र राय बनाने में किसी भी तरह से प्रभावित नहीं करेगी।

10. तदनुसार, जमानत आवेदन **स्वीकार** किया जाता है।

29 जून, 2026

आशु

(न्यायमूर्ति विकास बुधवार)

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”